कोर्ट फी 10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

126

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

R 1162- II-17

प्र0क0 R II/17

लक्ष्मीनारायण पुत्र रामपाल जाति माली निवासी ग्राम बलवानी तह0 वीरपुर जिला श्योपुर म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

दरबारी पुत्र प्रहलाद बंजारा निवासी ग्राम बलबानी तह0 वीरपुर जिला श्योपुर म0प्र0

........................अनावेदक

श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा आज दि. 12-5-17 को प्रस्तुत 17.5.17 कोर्ट ... ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 27/03/2017

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर

के प्र0क0 10/15–16 अपील/निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम बलवानी तह0 वीरपुर जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 237/1 मिन 2 रकवा 0.418 है0 भूमि का व्यवस्थापन तहसील वीरपुर के प्र0क0 23/93–94×अ/19 में पारित आदेश दिनांक 15/07/94 द्वारा आवेदक के हक में किया गया आवेदक उक्त भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी है।

2– यह कि अनावेदक द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय विजयपुर के समक्ष धारा 113 म0प्र0भू0रा0 संहिता के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का पट्टा भू–दानयज्ञ बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया था। खसरा पंचशाला सम्बत 2055 लगायत 2057 में अनावेदक के बजाय आवेदक लक्ष्मीनारायण नाम अंकित कर दिया। राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्त करने की प्रार्थना की। जिस पर से प्र0क0 115/13–14×वी/121 पर पंजीबद्व किया जाकर पारित आदेश दिनांक 13/08/15 द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3– यह कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय विजयपुर के आदेश के विरूद्व श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की जो प्र0क0 10/15–16अपील पर पंजीबद्व की गई। अपील के साथ

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1162-दो/17 **जिला** - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	